न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण सख्याः—36 / 24 दायर दिनांकः—27.05.2024

जीसीएमएस नं. 2024 / 191

1. भगलाल पुत्र शिब्बू जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील सूरीठ, जिला—करौली (राज०)

2. तस्वीरी पत्नी भगलाल, जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा, तहसील सूरीठ, जिला—करौली (राज०)

———सायलान———02

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरीठ, जिला—करौली (राज०)

——गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थितः— 1. श्री पी एल गोयल वकील प्रार्थीगण

2. श्री पेशकार सरकार तहसीलदार सूरौठ अप्रार्थी

निर्णय दिनांक

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सेवामें प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पेश है खाता संख्या नया 201 की आराजी खसरा नम्बर 1793 रकवा 01 ऐयर, 1794 रकवा 77 ऐयर कुल किता 02 कुल रकवा 78 ऐयर, स्थित ग्राम हुक्मीखेडा, तहसील सूरीठ है।

खाता सख्या नया 257 की आराजी खसरा नम्बर 2035 रकवा 13 ऐयर, 2036 रकवा 36 ऐयर, 2047 रकवा 05 ऐयर, 2051 रकवा 06 ऐयर, कुल किता 04 कुल रकवा 60 ऐयर, स्थित ग्राम हुक्मीखेडा, तहसील सूरौठ है।

खाता संख्या नया 259 की आराजी खसरा नम्बर 2215 रकवा 98 ऐयर स्थित ग्राम हुक्मीखेडा, तहसील सूरोठ है।

खाता संख्या नया 2[illegible] नम्बर 1473 रकवा 20 ऐयर, 1481 रकवा 26 ऐयर, 1510 रक[illegible] 46 ऐयर, 1849 रकवा 07 ऐयर कुल किता 06 कुल रकया 1.30 हे0 [illegible] ग्राम हुक्मीखेडा, त[illegible] सूरोड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:34 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या नया 52 की आराजी खसरा नम्बर 1696 रकया 49 ऐयर, स्थित ग्राम हुक्मीखेडा, तहसील सूरीठ है। खाता संख्या नया 53 की आराजी खसरा नम्बर 1424 रकवा 16 ऐयर, 924 रकबा 15 ऐयर, कुल किता 02 कुल रकया 31 ऐयर, स्थित ग्राम हुक्मीखेडा, तहसील सूरीठ है।

खाता संख्या नया 203 की आराजी खसरा नम्बर 1809 रकवा 36 ऐयर, 1810 रकवा 44 ऐयर, 1832 रकवा 10 ऐयर, कुल किता 03 कुल रकवा 90 ऐयर, स्थित ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरीठ है।

आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 01 लगायत 06 प्रार्थना पत्र में सायल नम्बर 01 संयुक्त खातेदार काश्तकार है, लेकिन उक्त आराजीयात की जमाबंदियों में सायल का नाम भगलाल के स्थान पर भगवानसिंह दर्ज कर दिया है तथा इसी प्रकार मुतजिक्रा मद नम्बर 07 प्रार्थना पत्र में सायल नम्बर 02 संयुक्त खातेदार काश्तकार है. लेकिन उकत आराजी की जमाबंदी में उसके पति का नाम गलत तरीके से भगलाल के स्थान पर भगवानसिंह दर्ज कर दिया है। जबकि वास्तव में सायल नम्बर 01 का नाम नगलाल पुत्र शिब्बू जाति जाट, निवासी हुक्मीखेडा है।

सायल नम्बर 01 व सायल नम्बर 02 के पति का सही नाम भगलाल पुत्र शिब्बू जाट है, जो कि सायल नम्बर 01 के समस्त सरकारी दस्तावेज जिनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में सायल नम्बर 01 व सायल नम्बर 02 के पति का नाम भगलाल पुत्र शिब्बू जाट अंकित है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदियों में उक्तानुसार संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

सायलान उपरोक्त आराजीयात के सम्बंध में सायल नम्बर 01 व सायल नम्बर 02 के पति का नाम गलत रूप से भगलाल के स्थान पर भगवान सिंह अंकित होने से सायलान अपने उपरोक्त खातों पर अपने कृषि कार्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक से केसीसी कार्ड के तहत ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहे है, जिसके कारण सायलान को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए राजस्व कर्मचारियों [illegible] कराया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है तथा उक्त दु[illegible] से दिनांक 24.05.2024 को निवेदन किया तो गैरसायल ने उक्त दुरुस्ती करने से इन्कार कर दिया और इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:34 IST
Reason: SelfAttested

सम्बंध में श्रीमान के यहां चाराजोही करने हेतु कहा, इसलिये प्रार्थना पत्र श्रीमान के यहां पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सायलान की आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 01 ता 07 प्रार्थना पत्र के राजस्व खातों की जमाबंदियों में सायल नम्बर 01 व सायल नम्बर 02 के पति का नाम भगवानसिंह के स्थान पर भगलाल पुत्र शिब्बू जाट अंकित फरमाया जाकर उक्त राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कर सही किया जावे।

अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ द्वारा पत्रांक 548 दिनांक 30.12.2024 को जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:–

1. उक्त प्रकरण की जांच हेतु पटवार हल्का हुक्मीखेडा एवं भू०अनि०नि० ढिढोरा मौके पर पहुँचे तथा मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों से पूछताछ की गयी।
2. ग्राम हुक्मीखेडा की जमाबंदी के खाता संख्या 26, 52, 53, 201, 257, 259 में सायलान का नाम भगवानसिंह पिता शिब्बू जाति जाट हि० मुता० जमाबंदी दर्ज रिकार्ड है एवं खाता संख्या 203 में सायलान का नाम तस्वीरी पत्नी भगवानसिंह जाति जाट हि० मुता० जमाबंदी दर्ज रिकार्ड है।
3. मुताबिक सायलान के समस्त कागजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि ने सायलान का नाम भगलाल पिता शिब्बू तस्वीरी पत्नी भगलाल दर्ज है।
4. ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि ग्राम में सामान्यतः भगलाल के स्थान पर भगवान सिंह नाम आपसी बोलचाल में प्रयोग लिया जाता है जबकि भगलाल पिता शिब्बू एवं भगवान सिंह पिता शिब्बू एक ही व्यक्ति है। अलग–अलग व्यक्ति नहीं है।
5. ग्रामवासियों द्वारा भगलाल पिता शिब्बू एवं भगवानसिंह पिता शिब्बू एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। अतः भगवानसिंह पिता शिब्बू के स्थान पर भगलाल पिता शिब्बू किया जाना उचित होगा।

वकील प्रार्थी ने अपने [illegible] हेतु दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2071–74 [illegible], जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 203, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 257, जमाबंदी संवत 2071–74

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:34 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या 259, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 26, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 52, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 53 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ, परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड भगलाल, जन आधार कार्ड तस्वीरी, पहचान पत्र भगलाल पेश किये।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी पेराकार सरकार तहसीलदार सूरौठ ने दौराने बहस में खातेदार का नाम भगवानसिंह पिता शिब्बू के स्थान पर भगलाल पिता शिब्बू किया जाने का कथन दोहराया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजी साक्ष्य में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 201, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 203, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 257, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 259, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 26, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 52, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 53 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ, परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड भगलाल, जन आधार कार्ड तस्वीरी, पहचान पत्र भगलाल है। प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार सूरौठ के जबाव का विवेचन करने पर पाया कि मुताबिक दस्तावेज व ग्रामीणों के अनुसार सही नाम भगलाल पुत्र शिब्बु है। संलग्न दस्तावेजों एवं पेरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर भगवानसिंह पिता शिब्बू के स्थान पर भगलाल पिता शिब्बू किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजी खाता संख्या 201, 203, 257, 259, 26, 52, 53 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ स्वीकार कर भगवानसिंह पिता शिब्बू के स्थान पर भगलाल पिता शिब्बू शुद्ध किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड [illegible] दरामद करने हेतु तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो। [illegible] बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:31:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 28/02/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:31:34 IST
Reason: SelfAttested